न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
14 / 2020	21-01-2020	20/7/20

उनवान

सूरज व अन्य ———: वादी

बनाम

बाबूलाल व अन्य ———: प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जाप्ता दीवानी

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 मिन जानिब प्रतिवादीगण संख्या 2 की ओर से निम्न पेश है। विवादित आराजी का रजि0 बयनामा असल प्रतिवादी संख्या 1 ने मिन असल प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में बाकब्जा प्रतिफल प्राप्त कर वादीगण के जन्म से काफी समय पूर्व तहरीर वो तकमील कराया था। जब वादीगण का जन्म हुआ, उससे पूर्व ही विवादित आराजी का विक्रय हो चुका था, इसलिए वादीगण का विवादित आराजी में जन्म से हक एवं अधिकार होने का प्रश्न ही पैदा नहीं है। कानूनन विवादित आराजी तन्हा प्रतिवादी संख्या 1 की कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी थी, जिसकी विधि अनुसार बयनामा मिन असल प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में असल प्रतिवादी संख्या 1 ने कराया था दावा हाजा हेतु वादीगण को कोई वाद–कारण पैदा नहीं होता है। वादीगण का वाद मेन्टिनेबल नहीं है, जो वाद वादीगण काबिले खारिज है। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

वादी/प्रतिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में कोई जवाब पेश नहीं किया सिधे ही बहस करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 बहस वकुलात सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस वकुलात पर मनन किया। उक्त प्रकरण में विवादित आराजी जर्ये बयनामा प्रार्थी द्वारा क्रय की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

20/07/20

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)